न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS)

प्रकरण संख्या :–74/2017 (2017/00051) दर्ज दिनांक 14.06.2017

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

श्रीमती रतनदेवी पत्नि शांतिलाल कोठारी निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादिया

बनाम

1. कमलेश पिता रतनलाल जाट निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमति मधुबाला पत्नि सुरेश जाट निवासी कमल गैस ऐजेन्सी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. रामलाल पिता श्रीकिशन सुवालका निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. नारायण पिता श्रीकिशन सुवालका निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा।
6. प्रोजेक्ट प्राधिकारी महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 कार्यालय आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा।

——प्रतिवादीगण

उपस्थितिः अधिवक्ता वादियाः– श्री मुकेश चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6:–श्री दिनेश चन्द्र बापना

पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 06.07.2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजरथान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 15.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर कि ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा, तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 1357 में अंकित आराजी संख्या 5737 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 5740 रकवा 0.28 हे0, आराजी संख्या 5741 रकबा 0.23 हे0, आराजी संख्या 5755 रकवा 0.25 हे0 कुल किता 04 कुल रकवा 0.96 हे0 भूमि स्थित का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2019/305 दिनांक 06.07.2021 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा, तहसी[illegible] मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी अधि[illegible]ब्जे काश्त की सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 1357 में अं[illegible] आराजी संख्या 5740 रकबा 0.28 हे0, आराजी सं[illegible] आराजी संख्या 5755 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि की विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे [illegible]धिवक्ता वादीयागण द्वारा स्वीकार है। एवं प्रतिवादी सं0 6 के अधिवक्ता ने अनापत्ति जाहीर की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner